IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों में षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन

मंजु शर्मा
शोध निर्देषिका

पी.एच.डी. शोध छात्र
अमित कुमार शर्मा
ज्योति विद्यापीठ महिला
विष्व विद्यालय जयपुर

प्रस्तावना :–

षिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। षिक्षा के द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौषल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है ओर उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही आरम्भ हो जाता है (लाल, 2003)। किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देष की नियति उसकी षिक्षा पद्धति पर निर्भर होती है। विकास के सारे रास्ते षिक्षा से होकर गुजरते है क्या सही है ओर क्या गलत इसका ज्ञान षिक्षा से ही प्राप्त होता है। षिक्षा ही हमें विवेकपरक, दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंग्रेजी साहित्यकार बेकन का यह कथन कि ज्ञान ही शक्ति है शत–प्रतिषत सत्य प्रतीत होता है (दुबे,2009) । 21वीं सदी में चल रहे भारत के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियाँ है। षिक्षा की स्थिति एवं प्रत्येक स्तर पर उसकी गुणवता में सुधार हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात गठित होने वाले आयोगों, समितियों, नीतियों में कई सुझाव प्रस्तुत किए गए इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय –समय पर चलाई गई विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों जैसे ऑपरेषन ब्लैक बौर्ड, प्रौढ़ षिक्षा कार्यक्रम, सर्व षिक्षा अभियान आदि की सीमित सफलता के बाद केंद्र सरकार ने बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःषुल्क षिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (केंद्रीय अधिनियम संख्या–35) जिसे राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 तथा लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया । इस अधिनियम के अनुसार 06–14 आयु वर्ग के बचों को कक्षा 1–8 तक की षिक्षा निःषुल्क प्राप्त करने का मूल अधिकार है। भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को 1 अप्रेल 2010 से जम्मू–कष्मीर को छोड़कर संपूर्ण देष में लागू भी कर दिया है (बोदिया,2010) ।

अध्ययन की आवष्यकता

वर्तमान समय में कक्षा 1–6 तक की प्राथमिक षिक्षा को एक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। षिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा अधिनियमों को समझ पाता है, अतः सीाी को स्वयं के सर्वागीण विकास हेतु षिक्षा प्राप्त करना अति आवष्यक है। षिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009 सरकार द्वारा कानून के रूप में लागू तो कर दिया गया है परंतु इसके क्रियान्वयन तथा प्रभावषीलता को परिणित होने में सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रति लोगों का जागरूक न होना है। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक षिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूक नहीं हो जाता है तब तक यह अधिकार अधिनियम अपने मूल उद्देष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगा । षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 तभी सार्थक हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम की जानकारी होगी । इस अधिनियम में षिक्षा व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों की जिम्मेदारी, महत्व, भूमिका तथा जवाबदेही निर्धारित की गई है। आज के बी.एड. प्रषिक्षणार्थी भविष्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत होंगे अतः इस अधिनियम के प्रति जागरूक होने से वे सरकार द्वारा चलाई जा रही षिक्षा संबंधी योजनाओं के साथ–साथ इस अधिनियम में वर्णित विधानों को भी अपने विद्यालयों में समावेषित कर सकेंगे । जिसके फलस्वरूप वे षिक्षा के स्तर तथा गुणवत्ता को उसी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर सकेंगे जिस स्तर के लिए यह वांछित है ।

अध्ययन के उद्देष्य

वर्तमान शोध के परिप्रेक्ष्य में जिन उद्देष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वे निम्नलिखित है –

1. बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं में षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।
2. विज्ञान तथा गैर विज्ञान विषयों वाले बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों में षिक्षा में अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।
3. ग्रामीण तथा शहरी परिवेष के बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों में षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निमित निर्धारित उद्देष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया –

1. बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की षिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यमों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. विज्ञान तथा गैर विज्ञान विषयों वाले बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों की षिक्षा के अधिकार अधिनियम –2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. ग्रामीण तथा शहरी परिवेष के बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों में षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यमों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध योजना

प्रस्तुत शेध अध्ययन में मात्रात्मक शोध उपागम को आधार माना गया है जिसके लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

प्रतिदर्ष चयन

वर्तमान शोध अध्ययन में जयपुर जिले में 110 प्रषिक्षणार्थियों (50 छात्राध्यापक) तथा 60 छात्राध्यापिकाओं) का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्षन प्रविधि से किया गया ।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में में प्रदत्त संकलन के लिए स्वनिर्मित षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली का उपयोग किया गया है। षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली नामक उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित चरणबद्ध प्रक्रिया का अनुसरण किया गया–

प्रथम चरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देष्य को ध्यान में रखकर अध्ययन से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया । न्यादर्ष के स्वरूप तथा अध्ययन की आवष्यकता के अनुसार षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली के निर्माण की योजना बनाई गई।

द्वितीय चरण

षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली निर्माण हेतु समस्या से संबंधित साहित्य के अवलोकन के अतिरिक्त षिक्षा विभाग, जयपुर जिले के प्रष्नावली का प्रारंभिक निर्धारित किया गया जिसमें 35 बहुविल्पीय प्रष्नों को षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली में संग्रह की दृष्टि से लिखा गया ।

तृतीय चरण

षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली पर पूर्व परीक्षण किया गया। जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रषिक्षणार्थियों को कौन–कौन से प्रष्नों के उत्तर देने में कठिनाई हो रही है तथा वे कौन–कौन से प्रष्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे है। पूर्व परीक्षण में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रषिक्षणार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रारंभिक प्रारूप में से 15 प्रष्नों को हटा दिया गया एवं षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली में पनुः सुधार किया गया ।

चतुर्थ चरण

षिक्षकों की राय लेने तथा पूर्व परीक्षण के पश्चात प्रष्नों की भाषा को पुनः परिष्कृत किया गया साथ ही साथ उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रष्नों को भी प्रष्नावली में सम्मिलित तथा परिवतर्तित किया गया। इस प्रकार से 20 प्रष्नों का निर्माण अंतिम रूप से किया गया।

पंचम चरण

षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली की विष्वसनीयता सुनिष्चित करने के लिए बी.एड. प्रषिक्षणार्थियों पर परीक्षण किया गया । प्राप्त आंकड़ो के विष्लेषण के पश्चात यह पाया गया कि षिक्षा का षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली की विष्वसनीयता का स्तर 0.86 है।

अंतिम चरण

शोधार्थी द्वारा उक्त षिक्षा का अधिकार–2009 जागरूकता मापनी प्रष्नावली को आवष्यक निर्देषों एवं सूचनाओं सहित मुद्रण मराया ।

संख्यिकीय प्रविधियां

प्रयोज्यों से एकत्रित प्रदत्तों के विष्लेषण हेतु माध्यमान, मध्यांक बहुलांक तथा टी–परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया।

प्रदत्तों का विष्लेषण, व्याख्या एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राप्त प्रदत्तों को विष्लेषत करके उसकी व्याख्या एवं निष्कर्ष को निम्न प्रकार वर्णित किया गया है।

छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की षिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता का तुलनात्क अध्ययन तालिका संख्या–2

चर	N	माध्यम	मानक विचलन	T	स्वातंत्रय मात्रा	की	सार्थकता स्तर
छात्राध्यापक	50	8-66	2-77				
छात्राध्यापिकायें	60	8-33	2-65				
योग	110			0.538	108		0-05

शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता की तुलना करने पर पाया गया कि छात्राध्यापकों की जागरूकता का माध्य 8.66 तथा मानक चिलन 2.77 है छात्राध्यापिकाओं की जागरूकता की माध्य 8.33 तथा मानक विचलन 2.65 है। दोनों चरों के मध्य टी–अनुपात का मान 0. 538 है। जोकि 0.05 सार्थकता स्तर पर 108 स्वातंत्रय की मात्रा के सारणीयन मान 1.98 के कम है अतः हमारी शून्य परिकल्पना बी.एड. छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं को षिक्षा के अधिकार

अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है स्वीकृत होती है। चूंकि हमारी शून्य परिकल्पना तथा छात्राओं की षिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता के माध्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत होती है अतः हम कह सकते है कि छात्र तथा छात्राओं की शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है।

अध्ययन का शैक्षिक महत्व

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम षिक्षकों तथा षिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगें। यह सर्वविदित है कि षिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के त्रिभुजीय सिद्धांत के अनुसार षिक्षण–अधिगत प्रक्रिया में एक आधार तत्व षिक्षक भी होता है। जिसके ऊपर षिक्षा का ऐसा दायित्व है जो उसके अंदर कई योग्यताओं की समन्वित होने की आकांक्षा रखता है। जिनकी सहायता से वह विद्यालय में षिक्षण अधिगम का उचित वातावरण तैयार कर सके और षिक्षण के वांछित उद्देष्यों को प्राप्त कर सकें प्रस्तुत अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखि है –

1. यह शोध अध्ययन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के षिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु भावी षिक्षकों को आधार प्रदान करेगा ।
2. यह शोध कार्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यारत षिक्षकों को उनके कर्त्तव्य तथा दायित्वों के प्रति जागरूकता बनाने में सहायता करेगा ।
3. यह शोध अध्ययन षिक्षाविदों एवं वर्तमान सरकार को प्राथमिक षिक्षा की स्थिति से अवगत कराने में तथा भविष्य में नए कदम व योजनाओं को आरंभ करने में सहायक प्रदान करेगा ।

संदर्भ सूची

अम्बेकर आर.एल. (2012) मुफ्त एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति
अध्यापकों का दृष्टिकोण प्राथमिक षिक्षक 1, पृष्ठ संख्या 66–71

बोदिया, ए (2010) षिक्षा की नवीन दार्षनिक पृष्ठभूमि इलाहाबाद अनुभव पब्लिकेषन हाउस पृष्ठ संख्या 16–20

गंगवार एस (2013) षिक्षा का अधिकार अधिनियम एक विष्लेषणात्मक अध्ययन (अप्रकाषित एम. एड. लघोषोध ग्रंथ) बरेली कॉलेज, बरेली उत्तर प्रदेष

गुप्ता एस.पी तथा गुप्ता ए (2009) भारतीय षिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन पृष्ठ संख्या 101–274

कपिल.एच. के. (2009) अनुसंधान विधियाँ आगराः एच.पी. भार्गव बुक डिपो पृष्ठ संख्या 212–256

लाल, आर.बी (2014) षिक्षा के दार्षनिक एवं समाजषास्त्रीय आधार मेरठ रस्तोगी पब्लिकेषन पृष्ठ संख्या 1–26

लाल, आर.बी. तथा शर्मा के (2014) भारतीय षिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें मेरठः आर लाल बुक डिपो पृष्ठ संख्या 328–331

मिश्रा, एल. (2013) भारत में षिक्षा व्यवस्था मेरठःआर लाल बुक डिपो पृष्ठ संख्या 464–480

सिंह, ए के (2013) मनोविज्ञान, समाजषास्त्र तथा षिक्षा के शोध विधियाँ दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास पृष्ठ संख्या 396–442

सुलेमान. एम. (2016) मनोविज्ञान, षिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी दिल्ली मोतीलाल बनारसीदास, पृष्ठ संख्या 283–307